

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या:- 13/2016

दिनांक:-02.08.2019

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. गुलजारी पुत्र मालीराम जाति ब्राहमण
2. गुलाब देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट
3. मनोज देवी पत्नी विजय कुमार जाति जांगिड़
4. तारामणी देवी पत्नी छोटूलाल जाति मेघवाल
5. ओमकंवर पत्नी बलदेव सिंह जाति राजपूत समस्त निवासी ग्राम टिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


—:निर्णय:—

तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2016 को ग्राम टिमोली तहसील रामगढ़ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 0.5075 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण 01 ता 05 खातेदार कृषक है। अप्रार्थीगण समस्त कृषि भूमि पर प्लाटिंग कर रहे हैं। बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वह कृषि भूमि की किस्म बदले व भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक का अधिकार नहीं होते हुए भी अकृषि भूमि में तब्दील करें।

अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कर लिया है।

तहसीलदार द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर, अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे व भूमि सिवायचक घोषित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर जबाब पेश कर कथन किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का अनाधिकृत अकृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा ना ही किसी प्रकार का आवासीय निर्माण कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण किसान होने के कारण अपने पशुओ


(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी


लिए पशुआलय बना रखा है। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि भुखण्ड पर नियमविरुद्ध कार्य पाया जाता है तो राजस्व विभाग उक्त भुखण्ड बाबत नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

बहस तहसीलदार सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व जमाबंदी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 से जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 144 रकबा 0.5075 हैक्टेयर पर मौके पर आबादी बना रखी है।

तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खातेदार द्वारा भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से कानून के खिलाफ कर लिया है। तहसीलदार ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर उक्त आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल व आराजी को सिवायचक दर्ज करने की अपील की। उक्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। जबाब में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 से होती है। अतः विवादित आराजी का कृषि के स्थान पर गैर कृषि उपयोग होना साबित है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि प्रार्थी तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम ठिमोली की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 0.5075 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज किया जाकर कब्जेराज लिया जावे एवं उक्त आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(निधि सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर